तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीनी के अधिवक्ता देवाराम उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ओम प्रकाश विश्नोई उपस्थित। [illegible] बहस सुनी गई। प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने [illegible] के तथ्य को दोहराते हुए बताया की अपनी बहस में [illegible] विप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थीनी इस खेत की सहखातेदार है। [illegible] 02 अपना हिस्सा किसी अजनबी व्यक्ति को बैचाण कर देंगे जिससे वाद में जटीलता बढेगी इसलिए न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश 04.01.2022 को ताफैसला कन्फर्म किया जावें। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए बताया की विप्रार्थी संख्या 01 व 02 इस खेत के मूल खातेदार है तथा प्रार्थीनी इस खेत में आंशिक हिस्से की क्रेता है तथा काबिज होकर काश्त कर रही है तथा हिस्सा 100/811 की रैकर्डेड खातेदार है इसलिए इसके नाम दर्ज हिस्से में कोई परिवर्तन संभव नही है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिकारो को विबन्धीत करने से अपूरणीय क्षति हो रही है अपने हिस्से का रहन बैचाण इत्यादि करने का अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। कि खेत खसरा संख्या 45 क्षेत्रफल 13.1280 हेक्टेयर यानि 81.02 बीघा में प्रार्थीनी केवल 100/811 हिस्सा यानि 10 बीघा भूमि की सह खातेदार है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 02 जो 71–02 बीघा भूमि के हिस्सेदार है तथा प्रार्थीनी का केवल बंटवाड़े का दावा है तथा प्रार्थीनी स्वयं ने अपने आवेदन में 10 बीघा भूमि में अलग कब्जा काश्त व तारबंदी होना जाहिर किया है इसीलिए सम्पुर्ण खसरे में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिकारो का हनन किया जाना न्यायोचित नही है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 मुल खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 जो 71–02 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार है इसीलिए सुविधा का संतुलन विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में है साथ ही यदि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित। बिश्नोई ने

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अदकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अपने हिस्से में कोई परिवर्तन करते है तो प्रार्थीनी के 10 बीघा पर कोई असर नही होगा साथ ही विभाजन में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की जगह नये खातेदार आ जाते है तो भी प्रार्थीनी को बाई मिटस एण्ड बाउड अपना 100/811 हिस्सा मिलना तय है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 वृद्ध व महिला होने से अपने भूमि पर ऋण इत्यादि लेकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते है जबकि एकतरफा स्थगन के बाद ऐसा सम्भव नही होने से विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को अपुर्णिय क्षति हो रही है इसीलिए एकतरफा स्थगन दिनांक 04.01.2022 को अपास्त कर स्थगन के प्रभाव से मुक्त करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारीज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्षो की बहस सुनी गई इस स्टेज पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति के बिन्दू पर विचार किया गया हस्तगत राजस्व आवेदन में एकतरफा स्थगन से विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खोतदारी अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है साथ ही प्रार्थीनी के विभाजन में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि में अपने हक हिस्से का बैचाण रहन व हस्तानान्तरण करनें से कोई प्रभाव नही पडता है तथा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा मुल वाद का जवाब पेश किया जा चुका है तथाा प्रार्थीनी का अपना हिस्सा अलग करवाने में कोई आपति नही है इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनो बिन्दू विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में साबित होने से एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 04.01.2022 को यथावत रखना न्यायोचित प्रतित नही होता है लिहाजा प्रार्थीनी द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा अन्तरिम आदेश 04.01.2022 को प्रभाव को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner